न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 20/2020 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2020/00155

अपीलांटगण :— बनाम रेस्पोडेन्टगण :—

पोसी देवी पत्नी भीखा राम उर्फ भीकाराम उर्फ भीकला, कौम कुम्हार, निवासी मनिहारी, तहसील व जिला पाली (राजस्थान)

1. कमला देवी पुत्री भीखा राम उर्फ भीकाराम उर्फ भीकला, पत्नी ढलाराम, कौम कुम्हार, निवासी मनिहारी, तहसील व जिला पाली (राजस्थान)
2. उकीबाई पुत्री भीखा राम उर्फ भीकाराम उर्फ भीकला, पत्नी रमेश कुमार, कौम कुम्हार, निवासी मनिहारी, तहसील व जिला पाली (राजस्थान)
3. नायरायणी देवी पुत्री भीखाराम उर्फ भीकाराम उर्फ भीकला, पत्नी रमेश कौम कुम्हार, निवासी मनिहारी, तहसील पाली, हाल निवासी टेवाली, तहसील व जिला पाली (राजस्थान)
4. संतोष पुत्री ढलाराम, पत्नी मनोज, कौम कुम्हार, निवासी मनिहारी, तहसील पाली, हाल निवासी टेवाली, तहसील व जिला पाली (राजस्थान)
5. भुमिधारी तहसीलदार पाली, तहसील पाली, जिला पाली (राजस्थान)

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित
रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 25/8/21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के ग्राम मनिहारी के नामान्तरकरण संख्या 2328 दिनांक 22.06.2015 जो तहसीलदार पाली द्वारा पारित किया गया उसे निरस्त कराने हेतु विरूद्ध रेस्पोडेंटगण पेश की गई। अपील अपीलांट म्याद बाहर होने से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 2005 मय शपथ पत्र के प्रस्तुत की गई है साथ में नामान्तरकरण में पक्षकार नहीं होने से अपील पेश करने हेतु ईजाजत बाबत एक प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। अपील अपीलांट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं मातहत अदालत द्वारा पारित मूल नामान्तरकरण संख्या 2328 दिनांक 22.6.2015 तलब किया गया बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने वक्त बहस निवेदन किया कि अपीलांट पोसी देवी भीखाराम उर्फ भीकाराम उर्फ भीकला कौम कुम्हार की पत्नी है। तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 उसकी पुत्रियां एवं 4 पौत्री है। ग्राम मनिहारी पटवार हल्का मनिहारी तहसील पाली जिला पाली के खसरा नंबर 347 रकबा 4.00 बीघा किस्म बारानी अव्वल खसरा नंबर 474 रकबा 25.02 बीघा किस्म बारानी अव्वल खसरा नंबर 1282 रकबा 46.00 बीघा में से 6.05 बीघा बारानी दोयम व 39.5 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल तीन खसरा नम्बरान की भूमी 75.02 बीघा आई हुई है उक्त भूमि के खातेदार भीकाराम उर्फ भीकला पुत्र चिमना का देहान्त होने के पश्चात [illegible] अपील नामान्तरकरण संख्या 2328 दिनांक 22.06.2015 दर्ज किया गया उसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 जिसमें 1 से 3 भीकला की पुत्रियां है तथा 4 उसकी पौत्री है जिनके नाम तो दर्ज किए गए लेकिन भीकाराम उर्फ भीकला की धर्मपत्नी अपीलांट पोसी देवी पत्नी भीकाराम उर्फ भीकला कौम कुम्हार निवासी मनिहारी का नाम दर्ज नहीं किया गया हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार अपीलांट पोसी देवी स्व. भीकाराम उर्फ भीकला की पत्नी होने के नाते प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी है जिसके बतौर वारिसान के नामान्तरकरण में दर्ज करना चाहिए था। ऐसा नहीं कर पटवारी हल्का एवं तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:40:33 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

क्रमशः.......................2

पाली द्वारा भारी विधिक भूल की गई है इससे स्पष्ट होता है कि पटवारी हल्का एवं तहसीलदार पाली द्वारा भीकाराम के इन्तकाल के बाद उसके वारिसान की जांच नहीं की गई तथा न ही उनको सुना गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट अपने हक हकूको से वंचित रह गई। जो न्यायोचित नहीं है हक हकूक का प्रश्न होने से करने में म्याद का बिन्दु आड़े नहीं आता है ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट अन्दर म्याद मानकर स्वीकार फरमावे तथा जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को भी बतौर भीकाराम उर्फ भीकला के वारिसान के दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावे।

वकील रेस्पोडेंट ने भी अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस एवं तथ्यों से सहमति जाहिर करते हुए कथन किया कि पोसी देवी को भी बतौर वारिसान भीकाराम उर्फ भीकला के जैर अपील नामान्तरकरण में रेस्पोडेंट के साथ खातेदार दर्ज किया जाता है तो उन्हें किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

बहस सुनी गई। जैर अपील नामान्तरकरण का अवलोकन किया गया जैर अपील नामान्तरकरण से अपीलांट के हक हकूक प्रभावित होते है ऐसी स्थिति में म्याद के प्रश्न को गौण मानते हुए अपील के गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। अपीलांट भीकाराम उर्फ भीकला की पत्नी है जो उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है जिसे बतौर वारिसान के नामान्तरकरण में पुत्रियों व पौत्री के साथ दर्ज किया जाता है तो इसमें रेस्पोडेंटगण को भी एतराज नहीं है। इससे स्पष्ट है कि स्व. भीकाराम उर्फ भीकला की मृत्यु पर्यन्त नामान्तरकरण दर्ज करने एवं पारित करने से पूर्व उसके वारिसान की जांच नहीं की गई न ही उनको नोटिस दिया जाकर सुना गया। ऐसी स्थिति में जैर अपील नामान्तररण को यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 2328 दिनांक 22.6.2015 ग्राम मनिहारी पटवार हल्का मनिहारी तहसील पाली को निरस्त किया जाकर इस आशय के साथ तहसीलदार पाली को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि भीकाराम उर्फ भीकला के वारिसान की जांच की जाकर उनको सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच नियमानुसार सभी वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ मूल नामान्तरकरण के साथ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/8/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Ansh

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:40:33 IST
Reason: SelfAttested